

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 47/2019(2019/00130) वाद पत्र

अनवान

1—जाफर खां आत्मज हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

- 1—सज्जाद खां आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—सुल्तान खां आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—वसीम आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—अकरम आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—आरिफ मोहम्मद आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर
- 6—रजिया बानु पुत्री दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—रमजान खां आत्मज हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—जमाल खां आत्मज हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9—लतीफ खां आत्मज हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10—जेवानाबानु पुत्री हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11—हकीम खां आत्मज नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12—बादर खां आत्मज नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13—सिकन्दर खां आत्मज नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर
- 14—खैरून बैगम पत्नि नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15—रोशनबानु पुत्री नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 16—लालीबानु पुत्री नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

उपस्थित

1.—फारूख मोहम्मद

वादीगण

अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 17.10.2019 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 16 एवं मशीता बानु पुत्री हसन खां सिराजुदीन, हमीद खां माता जेतुन बानु, रईसाबानु, नफीसाबानु माता जेतुनबानु के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1529 रकबा 0.28 है0, 1563 रकबा 0.07 है0, 1629 रकबा 1.08 है, 399 रकबा 0.05 है, 400 रकबा 0.08 है0, 402 रकबा 0.06 है0, 403 रकबा 0.40 है, 915

रकबा 0.45 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.47 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 170 पर स्थित है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 23.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और प्रार्थी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में की प्रस्तावित आराजी संख्या 402/2 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 403 रकबा 0.40 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0 जाफर खां पिता हसन खां मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 399 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 400 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 402/1 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 915 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1529 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1563 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1629 रकबा 1.08 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.06 है0 भूमि सज्जाद खां, सुल्तान खां, वसीम अकरम, आरीफ मोहमद पिता दावत खां, रजिया बानु पुत्री दावत खां 27/206, जेबाना बानु पुत्री हसन खां 29/206, हकीम खां, बादर खां, सिकन्दर खां पिता नसीर खां, खेरून बेगम पत्नि नसीर खां, रोशन बानु, लाली बानु पत्नि नसीर खां 27/206, रमजान खां 41/206 लतीफ खां 41/206 जमाल खां 41/206 पिता हसन खां मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
24.12.19
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 47/2019(2019/00130) वाद पत्र

अनवान

1-जाफर खां आत्मज हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-सज्जाद खां आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-सुल्तान खां आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-वसीम आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-अकरम आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-आरिफ मोहम्मद आत्मज दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर
- 6-रजिया बानु पुत्री दावद खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-रमजान खां आत्मज हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-जमाल खां आत्मज हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-लतीफ खां आत्मज हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-जेवानाबानु पुत्री हसन खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-हकीम खां आत्मज नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12-बादर खां आत्मज नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13-सिकन्दर खां आत्मज नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर
- 14-खैरून बैगम पत्नि नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15-रोशनबानु पुत्री नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 16-लालीबानु पुत्री नशीर खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में की प्रस्तावित आराजी संख्या 402/2 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 403/10 रकबा 0.40 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0 जाफर खां पिता हसन खां मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 399 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 400 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 402/1 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 915 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1529 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1563 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1629 रकबा 1.08 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.06 है0 भूमि सज्जाद खां, सुल्तान खां, वसीम अकरम, आरीफ मोहमद पिता दावत खां, रजिया बानु पुत्री दावत खां 27/206, जेवानाबानु पुत्री हसन खां 29/206, हकीम खां, बादर खां, सिकन्दर खां पिता नसीर खां, खैरून बैगम पत्नि नसीर खां, रोशन बानु, लाली बानु पत्नि नसीर खां 27/206, रमजान खां 41/206 लतीफ खां 41/206 जमाल खां 41/206 पिता हसन खां मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 24.12.2019 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर (जिला भीलवाड़ा)
रायपुर (भीलवाड़ा)

